



2026: AHC: 25353

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी संख्या - **499/2026**

मेंहदी हसन एवं **3** अन्य याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं **7** अन्य प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : सुबोध कुमार, उदित चंद्र

प्रतिवादी के अधिवक्ता : सी.एस.सी., शेर बहादुर सिंह

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सुबोध कुमार, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मुनेश्वर सिंह और प्रतिवादी-ग्राम सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री शेर बहादुर सिंह को सुना गया।
2. तत्काल रिट याचिका निम्नलिखित राहतों के लिए दायर की गई है: -
 - (i) एक अंतरिम आदेश जारी करें, जिसके द्वारा विवादित निर्णय दिनांक **30.11.2002** (संलग्नक संख्या **3**) और **16.2.2022** (संलग्नक संख्या **4**) के प्रभाव और कार्यान्वयन पर रोक लगाई जाए;
 - (ii) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जिसके द्वारा उत्तरदाताओं को आदेशित किया जाए कि वे याचिकाकर्ताओं को विवादित भूमि, गाटा संख्या **1267**, क्षेत्रफल **1.12**

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



एकड़, ग्राम नौरिया, हुसैनपुर, जिला पीलीभीत से बेदखल न करें, और राजस्व परिषद के समक्ष द्वितीय अपील के लंबित रहने के दौरान यह प्रभावी रहे।

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा उत्तर प्रदेश ज़मींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम (U.P. Z.A. & L.R. Act) की धारा 229-B के तहत दायर वाद को निचली अदालत द्वारा अवैध और मनमाने तरीके से डिक्री (पारित) किया गया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं के पिता द्वारा उत्तर प्रदेश ज़मींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 331(3) के तहत दायर अपील को स्वीकार किया गया था और वर्ष 2002 में एक अंतरिम आदेश प्रदान किया गया था, जो वर्ष 2022 में आयुक्त के समक्ष अपील के लंबित रहने तक प्रभावी रहा। उन्होंने यह प्रदर्शित करने के लिए रिट याचिका के पैराग्राफ संख्या 11 का उल्लेख किया कि आयुक्त के समक्ष अपील के लंबित रहने के दौरान अंतरिम आदेश प्रभावी था। उन्होंने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील को अंततः मनमाने तरीके से खारिज कर दिया गया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर द्वितीय अपील को कानून के सारभूत प्रश्नों को तय करने के बाद स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन कोई अंतरिम आदेश प्रदान नहीं किया गया है। उन्होंने निवेदन किया कि लंबित द्वितीय अपील के निस्तारण के लिए उचित निर्देश जारी किए जाएं और द्वितीय अपील के लंबित रहने तक, मामले में यथास्थिति बनाए रखने के लिए अंतरिम आदेश प्रदान किया जाए। उन्होंने अपने तर्कों के समर्थन में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय (1982) 3 SCC 484, मूल चंद बनाम रज़ा बुलंद शुगर कंपनी लिमिटेड और इस न्यायालय के निर्णय 2007 (102) RD 498, अली शेर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, कलेक्टर बिजनौर एवं अन्य के माध्यम से, पर भरोसा जताया।
4. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता और प्रतिवादी-ग्राम सभा के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि राजस्व परिषद के समक्ष अंतरिम राहत के आवेदन के साथ द्वितीय अपील लंबित है, ऐसे में याचिकाकर्ता को इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका के बजाय राजस्व परिषद के समक्ष अपनी लंबित द्वितीय अपील और अंतरिम राहत के आवेदन पर जोर देना चाहिए।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्तों द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।
6. इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है कि यू.पी. जेड.ए. एंड एल.आर. एक्ट की धारा 229-बी के तहत वाद से उत्पन्न द्वितीय अपील को राजस्व परिषद के समक्ष स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन राजस्व परिषद द्वारा साथ लगे स्थगन आवेदन पर कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया है।
7. इस न्यायालय ने 'अली शेर' (उपरोक्त) के मामले में यह माना है कि यदि अपील और पुनरीक्षण के अधीन आदेश के गंभीर नागरिक परिणाम होते हैं, तो अपील/पुनरीक्षण लंबित रहने के दौरान अंतरिम सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। निर्णय के पैराग्राफ संख्या 4 और 5 प्रासंगिक हैं जो इस प्रकार हैं:

"4. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि एक बार जब उच्च न्यायालय द्वारा नागरिक परिणामों वाले आदेश के विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण स्वीकार कर लिया जाता है, तो झूलते हुए पेंडुलम से बचने के लिए सामान्यतः स्थगन दिया जाना चाहिए, जब तक कि न्यायालय दर्ज किए जाने वाले कारणों के आधार पर यह न पाए कि स्थगन देने के लिए कोई मामला नहीं बनता है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'मूल चंद बनाम रज़ा बुलंद शुगर इंडस्ट्रीज' के मामले में देखा गया है।"

"5. तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, विवादित आदेश दिनांक 16.11.2006 को एतद्वारा रद्द किया जाता है। रिट याचिका स्वीकार की जाती है। अपीलीय न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह याचिकाकर्ता की अपील का कानून के अनुसार जल्द से जल्द निस्तारण करे, अधिमानतः उसके समक्ष इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर और ऊपर दिए गए निर्देशानुसार अपील के निस्तारण तक, पक्ष विवादित भूमि की प्रकृति और कब्जे के संबंध में यथास्थिति बनाए रखेंगे।"

8. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए और 'मूल चंद' (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ 'अली शेर' (उपरोक्त) में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून के अनुपात के आलोक में, तत्काल रिट याचिका को प्रतिवादी संख्या 2/राजस्व परिषद,

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



यू.पी. प्रयागराज को निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि वह लंबित द्वितीय अपील संख्या 1853 वर्ष 2022 का निर्णय जल्द से जल्द, अधिमानतः संबंधित प्राधिकारी के समक्ष इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से 4 महीने की अवधि के भीतर, संबंधित पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद, कानून के अनुसार करें। यह आगे निर्देशित किया जाता है कि उक्त द्वितीय अपील के निस्तारण तक, पक्षों को प्रश्नगत भूखंड की प्रकृति और कब्जे के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया जाता है। इस रिट याचिका में निजी प्रतिवादियों को नोटिस जारी नहीं किया गया है क्योंकि द्वितीय अपील राजस्व परिषद के समक्ष लंबित है, ऐसे में निजी प्रतिवादी रिकॉल आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र हैं, यदि उन्हें इस आदेश के विरुद्ध कोई शिकायत हो।

दिनांक: 5 फरवरी, 2026

सी. प्रकाश

(चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"